



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112022-240514
CG-DL-E-23112022-240514

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5217]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 23, 2022/ अग्राहायण 2, 1944

No. 5217]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 2022/ AGRAHAYANA 2, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2022

का.आ. 5446(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के झालावाड़, जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-752B के कि.मी. 0+000 से 40+500 कि.मी. तक (जीरापुर से सुसनेर एम.पी. आर.जे. बॉर्डर-रोड) (तालुका-डग) का निर्माण (चौड़ीकरण/चार-लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भूमि अधिग्रहण अधिकारी, गंगधार, जिला झालावाड़, को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य के जिले झालावाड़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-752B के कि.मी. 0+000 से 40+500 कि.मी. तक (जीरापुर से सुसनेर एम.पी. आर.जे. बॉर्डर-रोड) (तालुका-डग) के निर्माण लिए भू खण्ड अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: राजस्थान		जिले का नाम: झालावाड़			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: डग					
गांव का नाम: नाहरघट्टी					
1	405/2, 405/3, 405/6	सरकारी(गैर मजरुआ)	का. का., बंजर, रास्ता	0.0190000(हेक्टेयर)	0.0190000
2	406	सरकारी(गैर मजरुआ)	नदी	0.2140000(हेक्टेयर)	0.2140000
3	407	सरकारी(गैर मजरुआ)	रास्ता	0.0350000(हेक्टेयर)	0.0350000
4	411	सरकारी(गैर मजरुआ)	का. का.	0.2200000(हेक्टेयर)	0.2200000
कुल				0.4880	0.4880

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/36/2018-19/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd November, 2022

S.O. 5446(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building(widening/2 laning with paved shoulder), maintenance, management and operation of National Highway **NH-752B** in the stretch of land from Km **0+000** to **40+500** km. in (**Jirapur to Susner MP-RJ-Border-Road**) (**Tehsil-Dag**) in the district of **Jhalawar**, in the state of **Rajasthan**, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the Sub Divisional Officer (Revenue) and land Acquisition Officer **Gangdhar**, District **Jhalawar**, in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from Km. 0+000 to 40+500 km. to. (Jirapur to Susner MP-RJ-Border-Road) (Tehsil-Dag) National Highway NH-752B in the district of Jhalawar, in the state of Rajasthan.

State: RAJASTHAN		District: JHALAWAR			
S.No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Dag					
Village: Naharghatti					
1	405/2, 405/3, 405/6	Government(Gair Majruwa)	Ka. Ka., Banjar, Rasta	0.0190000(Hectare)	0.0190000
2	406	Government(Gair Majruwa)	Nadi	0.2140000(Hectare)	0.2140000
3	407	Government(Gair Majruwa)	Rasta	0.0350000(Hectare)	0.0350000
4	411	Government(Gair Majruwa)	Ka. Ka.	0.2200000(Hectare)	0.2200000
Total				0.4880	0.4880

[F. No. CE-RO BPL/30010/36/2018-19/3A]

RAJESH GUPTA, Director